न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 02/2018

दायर दिनांकः 26.04.2018

निर्णय दिनांक 16.08.2018

—:अनवान:—

श्री नानालाल पिता मोतीलाल गुजर निवासी मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,नाथद्वारा

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ,नाथद्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 सरकार बनाम नानालाल निर्णय दिनांकः 11.04.2018 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री कुलदीप पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

अपीलांट ने तहसीलदार,नाथद्वारा के आदेश दिनांकः 11.04.2018 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम राजस्व अपील दिनांकः 26.04.2018 को पेश की गयी हैं।

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध तहसीलदार,नाथद्वारा के समक्ष यह रिपोर्ट की गयी कि इनके द्वारा ग्राम मोगाना स्थित आ0न0 1439 रकबा 41 बीघा 16 बिश्वा किस्म चारागाह भूमि में से 04 बिश्वा 10 बिश्वांसी भूमि पर अनाधिकृत रुप से थोहर की बाड़ व पक्की दीवार बनाकर अवैध कब्जा कर रखा हैं। अतः इसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कराना फरमावें। तहसीलदार,नाथद्वारा के द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रावली दर्ज कर अपीलांट/अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांकः 11.04.2018 को अपीलांट को अतिकमी घोषित कर बैदखली एवं शास्ति रूपया 50/— आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का वर्षो पुराना कब्जा होकर मामला नियमन हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन् सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होकर 90 वर्ष से

उसके पूर्वाधिकारी के समय से ही हैं और इस पर पुराना मकान बना हुआ हैं। पुराना कब्जा होने से अपीलार्थी उक्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी हैं और राज्य सरकार द्वारा भी ऐसे पुरानें कब्जे को नियमित करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मनन विचार नहीं किया गया हैं और न ही वादग्रस्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति को रेकार्ड पर लाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को शहादत,सबूत पेश करने का भी कोई मौका नहीं दिया गया हैं। इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि की तहसीलदार,नाथद्वारा की पत्रावली के अवलोकन से किस्म चारागाह भूमि हैं। अपीलांट के द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर रखा हैं जिसके संबंध में तहसीलदार,नाथद्वारा के द्वारा बैदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु पारित किया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर उचित आदेश पारित किया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जगपालसिंह बनाम पंजाब व हरियाणा राज्य के न्याय निर्णयन में चारागाह भूमि एवं राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं और इस भूमि को आवंटन एवं नियमन के संबंध में भी प्रतिबंधित कर रखा हैं। राज्य सरकार ने भी इस आदेश की पालना किये जाने बाबत अधिसूचना/परिपत्र जारी कर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित कर रखा है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के द्वारा तहसीलदार,नाथद्वारा के पारित आदेश दिनांकः 11.04.2018 को इस आधार पर चुनोति दी गयी कि अपीलार्थी का उक्त चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा हैं जो भूमि आवंटन और नियमन योग्य नहीं हैं। कब्जे के आधार पर उक्त चारागाह भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिकमी घोषित करते हुए उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत पाया जाता है। अतः मैं उक्त अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 11.04.2018 को यथावत रखा जाता हैं।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर ... राजसमन्द (राज.)

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद